<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 3043

06 अगस्त, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र का आधुनिकीकरण

3043. डॉ. मनोज राजोरिया:

श्री राधेश्याम बिश्वास:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू लोहा और इस्पात उद्योग के लाभ हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास योजना (यूएनडीपी) के वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) के माध्यम से ऊर्जा कुशलता और उत्सर्जन में कमी करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अपने आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार कार्यक्रमों के अंतर्गत ऊर्जा कुशलता और उत्सर्जन में कमी के प्रावधानों की स्थापना के लिए सभी सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों को निर्देश दिए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में इस्पात क्षेत्र के आधुनिकीकरण हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क): लोहा और इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है तथा सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में सीमित है। आधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने के निर्णय संबंधित लोहा और इस्पात कंपनियों द्वारा प्रौद्योगिकी विशेष के प्रौद्योगिकी-आर्थिकी पहलुओं के आधार पर लिए जाते हैं।

(ख) और (ग): ऊर्जा कार्य-कुशलता और उत्सर्जन में कमी लाने की प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल यूएनडीपी-जीईएफ और यूएनडीपी एयूएस ऐड के अंतर्गत 321 मॉडल यूनिटों में किया गया था, जो कि गौण इस्पात क्षेत्र में कम विद्युत खपत वाले उत्पादन हेतु इस्पात मंत्रालय की परियोजनाएं हैं।

(घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के नाते सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम प्रौद्योगिकी-आर्थिक विचारों पर आधारित होते हैं। ये ग्रीन हाऊस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन कम करने और ऊर्जा कार्य-कुशलता में सुधार लाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों से भी दिशा-निर्देशित होते हैं।

(ङ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के नाते सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में सीमित है जो इस्पात क्षेत्र की कार्य-कुशलता और कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने हेतु नीतिगत दिशा-निर्देश बनाती है और संस्थानिक तंत्र/ढाँचे की स्थापना करती है। सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 को अधिसूचित कर दिया है जिसका उद्देश्य भारतीय इस्पात क्षेत्र को प्रौद्योगिकीय दृष्टि से विकसित बनाना और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है।

******